संख्या- 15/2016-54/नौ-5-16-175बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 29 जनवरी, 2016

विषयः आगरा नगर के यमुना पार क्षेत्र कालिन्दी विहार एवं नरायच क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-01/नागर-2/033-धनावंटन/15, दिनांक 01.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-20/2015-1267/नौ-5-15-175बजट/2014 दिनांक 18.02.2015 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आगरा नगर के यमुना पार क्षेत्र कालिन्दी विहार एवं नरायच क्षेत्र में पेयजल परियोजना की निर्धारित लागत रू0 3379.71 लाख (रू0 तैतीस करोड़ उन्यासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 338.00 लाख (रू0 तीन करोड़ अड़तीस लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त रूप में, शासनादेश संख्या-39/2015-1403/नौ-5-15-175 बजट/2014, दिनांक 27.02.2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1014.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-361/2015-6668/नौ-5-15-175 बजट/2014, दिनांक 22.12.2015 द्वारा त्रतीय किश्त के रूप में रू0 400.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, के अनुक्रम में चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 330.00 लाख (रू0 तीन करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) शासनादेश संख्या-20/2015-1267/नौ-5-15-175बजट/2014 दिनांक-18-02-2015, शासनादेश संख्या- 39/2015-1403/नौ-5-15-175 बजट/2014, दिनांक 27.02.2015 एवं शासनादेश संख्या-361/2015-6668/नौ-5-15-175 बजट/2014, दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष् कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमो/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई 02-मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04 उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक' यथोक्त

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 15 /2016-54/नौ-5-16-175बजट/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/आगरा।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
9- महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, आगरा / अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्लिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई 02-मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04 30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यो हेतु-35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	200000	33000	33000	33000	167000
योग	200000	33000	33000	33000	167000
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों को पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	250000	283000	33000	33000	283000
योग	250000	283000	33000	33000	283000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) नगर पंचायत हेड में सीवरेज कार्यो के परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नगर निगमो के माइनर हेड में पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या- 308 ई-8-88 /दस-2016, दिनांक 28 जनवरी, 2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- 15 (1)/नौ-5-2016-175बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, आगरा ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (आ0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, आगरा ।
9- महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, आगरा ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-29/01/2016

प्रेषण संख्या:- 15

आवंटन आदेश संख्या:- 001-15-2016-54-9-5-16-175B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को पेयजल कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	33000000	33000000
		प्रगामी	276578000	276578000
	योग	वर्तमान	33000000	33000000
		प्रगामी	276578000	276578000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्ताइस करोड़ पैंसठ लाख अठहत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी